**भारत सरकार**

**पर्यावरण एवं वन मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 19**

**22.11.2011 को उत्तर के लिए**

**'बी टी बैंगन की जैविक-चोरी'**

**19. श्रीमती गुन्डु सुधारानी :**

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्रीयहबताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बी टी बैंगन की जैविक-चोरी के संदर्भ में मोन्सेंटो के विरुद्ध शिकायत का ब्यौरा क्या है;

(ख) भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने उक्त शिकायतों के संबंध में क्या कार्रवाई की है;

(ग) क्या यह सच है कि मोन्सेंटो के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने में विलम्ब हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्रीमती जयंती नटराजन )**

(क) और (ख) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को पर्यावरण सहायता समूह (ईएसजी), बंगलौर से एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें मोन्सेंटो और उसके सहयोगियों द्वारा बी.टी. बैंगन तैयार करने मे जैविक-चोरी का आरोप लगाया गया है । इस आधार पर प्राधिकरण ने कर्नाटक राज्य जैव विविधता बोर्ड की सहायता से इस आरोप की जांच शुरू की । उपर्युक्त बी.टी. बैंगन सामग्री तैयार करने में शामिल संस्थानों और एजेंसियों से सूचना और इनपुट प्राप्त किए गए थे और जैविक विविधता अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के तत्वों और उल्लंघन की सीमा पर विचार करते हुए इस सूचना का विधिक आकलन किया जा रहा है । इसके अलावा इस सामग्री को तैयार करने में शामिल एजेंसियों से और सूचना मांगी गयी थी और उनपर उचित कार्रवाई की जाएगी ।

(ग) यह विशेष मुद्दा किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अलग-अलग स्थानों से प्राप्त सूचना के स्रोतों से संबंधित है । अब तक व्यतीत समय इस शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए उपयुक्त सबूत इकट्ठा करने में लगा ।

(घ) शून्य ।

\*\*\*\*\*